

राष्ट्रीयराजधानीक्षेत्रदिल्लीसरकारकार्यालयसहायकआयुक्त (पश्चिम)
खाद्यआपूर्तिएवंउपभोक्तामामलेविभाग,
सी-152, सामुदायिककेंद्र, जनकपुरी, नईदिल्ली-110058

सं.F&S/AC(West)/FPS/2025/351

दिनांक: //2025 12/06/2025

सूचना

विभाग, राजीव रतन आवास योजना, बापरीला में उचित मूल्य की दुकान (एफ.पी.एस.) चलाने के लिए सर्किल-31 (विकासपुरी) के अंतर्गत राजीव रतन आवास योजना, बापरीला में आवास योजना फ्लैट्स, बापरीला में रहने वाले लाभार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार 01 (एक) अस्थायी लाइसेंस जारी करना चाहता है:-

1. अस्थायी लाइसेंस जारी होने की तिथि से केवल 03महीने की अवधि के लिए वैध होगा और इसका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।
2. अस्थायी लाइसेंस के लिए पात्रता: अस्थायी लाइसेंस के लिए पात्रता मानदंड जिसमें आयु और शैक्षणिक योग्यता शामिल है, नियमित लाइसेंस के लिए समान होगी (अर्थात आयु: 18वर्ष से कम नहीं और 60वर्ष से अधिक नहीं, शैक्षणिक योग्यता: कम से कम कक्षा 10वीं पास) हालांकि, दुकान के आयामों के मामले में, प्रस्तावित अस्थायी एफपीएस से जुड़े आवश्यक राशन कार्डों की संख्या के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उदारतापूर्वक छूट दी जा सकती है।
3. अस्थायी लाइसेंस केवल उसी व्यक्ति को दिया जाएगा जो उसी राजस्व जिले में रहता हो जिसमें एफपीएस स्थापित करने का प्रस्ताव है।
4. अस्थायी लाइसेंस, पुनर्प्राप्ति के ओडी लाइसेंस प्रदान करते समय, एससी/एसटी, महिला स्वयं सहायता समूहों, भूतपूर्व सैनिक और विकलांग व्यक्तियों से संबंधित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। चूंकि यह पूरी तरह से एक अस्थायी, आकस्मिक उपाय है, इसलिए आरक्षण लागू नहीं होगा।
5. किसी व्यक्ति को जो आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955के तहत किसी अपराध या भारतीय दंड न्यायालय या भारत में किसी अन्य कानून प्रवर्तन के तहत किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, उसे अस्थायी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। अस्थायी लाइसेंस देने के लिए उसके मामले पर विचार करने के लिए आवेदक की ओर से इस आशय की घोषणा पर्याप्त होगी।
6. आवेदक के परिसर का निरीक्षण संबंधित एफएसओ द्वारा किया जाएगा जो संबंधित सहायक आयुक्त को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
7. आवेदक की पात्रता, वरीयता श्रेणी और परिसर के स्थान के आधार पर, सहायक आयुक्त व्यक्तियों/समूहों को अस्थायी लाइसेंस देने का निर्णय लेंगे।
8. अस्थायी लाइसेंस देने से लाइसेंसधारी को किसी भी तरह से नियमित लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिलेगा। नियमित लाइसेंस देने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। एक व्यक्ति/स्वयं सहायता समूह को एक से अधिक लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे।
9. आवेदन निर्धारित प्रारूप (फॉर्म-ए) में प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें अनिवार्य घोषणाएं इस नोटिस के साथ संलग्न हैं।



12/06/25

10. अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे।

(क) पहचान का प्रमाण।

(ख) निवास का प्रमाण।

(ग) शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण।

(घ) परिसर के कानूनी कब्जे का प्रमाण।

(ङ) पासबुक/बैंक स्टेटमेंट की प्रति।

(1) प्रति एफपीएस 10000/- रुपये की सुरक्षा राशि की सावधि जमा रसीद

सर्किल कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 19/06/2025 शाम 05:00 बजे तक है।



सुशीला
14/06/2025

सुशीला
सहायक आयुक्त (पश्चिम)

सं. F&S/AC(West)/FPS/2025/ 351

दिनांक: //2025 12/06/2025

प्रतिलिपि:

1. सिस्टम विश्लेषक, एफएंडएस विभाग को इस अनुरोध के साथ कि वे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस अपलोड करें।
2. एफएसओ सी-31 (विकासपुरी) को निर्देश दिया गया कि वे सर्किल के बोर्ड पर नोटिस प्रदर्शित करें।
3. नोटिस बोर्ड, सहायक आयुक्त (पश्चिम), एफएंडएस विभाग का कार्यालय।
4. सभी जोनल एसी को व्यापक प्रचार के लिए सर्किल कार्यालयों में नोटिस प्रदर्शित करने के लिए।



सुशीला
12/06/2025

सुशीला
सहायक आयुक्त (पश्चिम)

OFFICE OF THE ASSISTANT COMMISSIONER (WEST)
FOOD SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT
C-152, COMMUNITY CENTRE, JANAKPURI, NEW DELHI-110058

Dated: 12/6/2025

No.F&S/AC(W)/FPS/2025/ 357

NOTICE

The department intends to issue 01 (one) temporary license for running Fair Price Shop (FPS) at Rajiv Rattan Awas Yojna, Bapraula under Circle-31 (Vikaspuri) keeping in view of the interest of the beneficiaries residing at Rajiv Rattan Awas Yojna flats, Bapraula as per the following guidelines:-

1. Temporary license shall be valid only for a period of 03 months from the date of issue and shall not be renewed.
2. Eligibility for grant for temporary license: the eligibility criteria for grant of temporary license including age and educational qualification shall be the same as that for regular license (i.e. age: not below 18 years and not above 60 years, education qualification: atleast class 10th pass) However, in case of dimensions of the shop, relaxation may be granted by the Competent Authority liberally depending upon the number of ration cards required to be attached to the proposed temporary FPS.
3. Temporary license shall be granted only to a person who resides in the same Revenue District in which the FPS is proposed to be located.
4. While granting temporary license, old KOD license, persons belonging to SC/ST, Women Self Help Groups, Ex- Service man and handicapped persons shall be given preference. As it is purely a temporary, emergent measure, reservations will not apply.
5. A person who has been convicted of an offence under the Essential Commodities Act-1955 or any other offence under the Indian Penal Court or any other Law Enforcement in India, shall not be granted temporary license. A declaration to this effect from the applicant shall be sufficient for considering his case for grant of temporary license.
6. The premises of the applicant shall be inspected by Concerned FSO who will submit the report to the Asstt. Commissioner concerned.
7. Based on the eligibility of the applicant, preference category and the location of the premises, the Asstt Commissioner will take decision for grant of temporary license to persons/groups.
8. Grant of temporary license shall not in any way entitle the licensee to get a regular license. For grant of regular license, the prescribed procedure shall be followed. One person/ self-help group shall not be given more than one license.
9. The application shall be submitted in the prescribed format (Form-A), containing the mandatory declarations is attached with this notice.

Contd....2

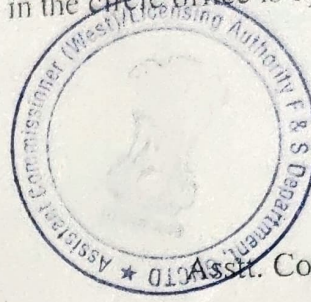


Shw
12/6/25

Following documents shall be submitted along with application for temporary license.

- (a) Proof of Identity
- (b) Proof of residence.
- (c) Proof of Educational Qualification.
- (d) Proof of Legal possession of the premises.
- (e) Copy of passbook/Bank Statement.
- (f) Fixed Deposit Receipt of Security money of Rs. 10000/- per FPS

The last date for submission of application form in the circle office is up to 19/06/2025 by 05:00 PM.



Sushila

Sushila

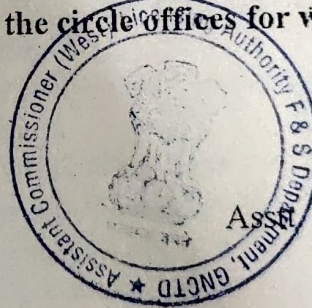
Asstt. Commissioner (West)

No.F&S/AC(W)/FPS/2021/357

Dated: 12/06/2025

Copy to:

1. System Analyst, F&S Department with the request to upload the Notice on Department's Official Website.
2. FSO C-31 (Vikaspuri) with the direction to display the Notice on the Circle's Board.
3. Notice Board, Office of the Asstt. Commissioner (West), F&S Department.
4. All Zonal AC's for display of the Notice in the circle offices for wide publicity.



Sushila
12/06/2025

Sushila

Asstt. Commissioner (West)